राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

रामचरण बनाम स्टेट आफ राजस्थान

एकलपीठ दांडिक निगरानी याचिका संख्या 514/1999 अन्तर्गत धारा 397 सपठित धारा 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरुद्व निर्णय दिनांक 27.7.1999, जो कि अपर सैशन न्यायाधीश, बारां द्वारा दांडिक अपील संख्या 13/99 में पारित किया गया एवं जिसके द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त की अपील को खारिज करते हुए उसे धारा 324, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से तो दोषमुक्त कर दिया गया किन्तु धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये छः माह के कठोर कारावास की सजा व 500/- रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के कठोर कारावास की सजा से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां के निर्णय दिनांक 13.8.97 के द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त रामचरण को 326 अथवा 326/34, 324 अथवा 324/34, 323 अथवा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का दोषी घोषित करते हुए धारा 326 अथवा 326/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये तीन वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना तीन माह के कठोर कारावास, 324 अथवा 324/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये एक वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना दो माह के कठोर कारावास एवं धारा 323 अथवा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 6 माह का कठोर कारावास व 500/- रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक माह के कारावास से दंडित किये जाने का आदेश दिया।

दिनांक - 31.3.2009

उपस्थित:
माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री एस.के.जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री प्रदीप श्रीमाल, लोक अभियोजक।

न्यायालय द्वारा:

प्रार्थी की ओर से यह दांडिक निगरानी याचिका अपर सैशन न्यायाधीश, बारां द्वारा दांडिक अपील संख्या 13/99 में पारित निर्णय दिनांक 27.7.1999 के

विरुद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त की अपील को खारिज करते हुए उसे धारा 324, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से तो दोषमुक्त कर दिया गया किन्तु धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये छः माह के कठोर कारावास की सजा व 500/- रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के कठोर कारावास की सजा से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां के निर्णय दिनांक 13.8.97 के द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त रामचरण को 326 अथवा 326/34, 324 अथवा 324/34, 323 अथवा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का दोषी घोषित करते हुए धारा 326 अथवा 326/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये तीन वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना तीन माह के कठोर कारावास, 324 अथवा 324/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये एक वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना दो माह के कठोर कारावास एवं धारा 323 अथवा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 6 माह का कठोर कारावास व 500/- रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक माह के कारावास से दंडित किये जाने का आदेश दिया।

प्रकरण के तथ्यों में जाने से पूर्व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के.जैन ने इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि वे प्रार्थी की दोषसिद्वि के आदेश को चुनौती नहीं देते हैं किन्तु चूंकि प्रार्थी पूर्व में 15 दिन अभिरक्षा में रह चुका है, उसके विवाह योग्य पुत्र एवं पुत्रियां है और उसके खिलाफ मामला लगभग 22 वर्ष से लंबित है जिससे वह इतनी लम्बी अवधि से इस मामले की पीड़ा को भुगत रहा है, जिससे उसे धारा 360 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जावे या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जावे। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय से भी स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी का यह पहला अपराध है। उनकी यह भी प्रार्थना है कि यदि यह न्यायालय प्रार्थी को इन दोनों ही लाभों में से किसी लाभ से लाभान्वित करना उपयुक्त नहीं समझती है तो उसे इस मामले में भुगती हुई सजा पर छोड़ा जावे। उन्होनें अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 1986 क्रिमिनल ला जर्नल 2061 नायबसिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब के निम्न पैरा की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया:-

> "Accordingly, the appeal fails and is dismissed. The judgment of the High Court after convicting the appellant under Section 326 of the Indian Penal code is upheld. As to the sentence, we are inclined to take a lenient view. We are informed that the appellant is a Teacher in a Government School. The circumstances brought out by the prosecution evidence show hat he acted in the heat of the moment. Looking to the fact that the incident occurred on April 22, 1973, some 13 years back, we do not think it desirable to send the appellant back to jail. We accordingly reduce the sentence of rigorous imprisonment for one year awarded by the High Court to imprisonment till the rising of the Court and pay a fine of Rs.5,000/- or in default, to undergo rigorous imprisonment for a period of six months. The amount of fine shall be deposited in the Court of the Judicial Magistrate, First Class, Muktsar within a period of one month from today. The amount, if recovered, shall be paid to the complainant Darshan Singh by way of compensation. Appeal dismissed."

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की इस प्रार्थना का घोर विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुनने एवं इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखने के उपरान्त मैं प्रार्थी को भुगती हुई सजा पर छोड़ना उपयुक्त समझता हूं।

अत: अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत प्रार्थी की दोषसिद्वि के आदेश की पुष्टि करते हुए उसे दी गयी कारावास की सजा के स्थान पर उसके द्वारा भुगती हुई सजा पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दांडिक निगरानी याचिका इसी प्रकार आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश